

**उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)**

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
31/021	136 L.R Act	पन्नापाडा	इकडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
ललिता बाई	बनाम	राज0 सरकार	

2021/167

वकील :- N.L. C. Adv.

**आदेश पत्रक**

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

21  
9/21

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 9/11/21 को पेश हो।

*M*  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा, जिला बारां (राज0)

**प्रशासन गार्डों के संग अभियान-2021**

29  
10/21

पत्रावली प्रशासन गार्डों के संग अभियान 2021 के तहत पन्नापाडा पर पेश हुई। प्रार्थियों द्वारा प्रकरण में मू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 L.R Act के तहत पेश किया। जिसकी रिपोर्ट तहसील दार इकडा से ली गई। तहसीलदार इकडा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम पन्नापाडा में मणोरमों में जातकारी धरेण पर पाया कि कन्हैया के एक पुत्र मदन तथा एक लड़की ललिताबाई नाम देा ही नारिस है और आदिनांक तक मीसूद है नारिणों का नामो-तबल दर्ज नहीं समान ललिताबाई के एकाग्र पर शांतीबाई दर्ज है। गणों जो सहकन से गलत दर्ज है। जिसे दुरस्त किया जाना उचित होगा। अभिलेखा की जाती है।

भुताविक पटवारी इकडा पन्नापाडा, मू. अभिगि निरी. निजाविध एंव तहसील दार इकडा की रिपोर्ट एवं अभिलेखा के आधार पर प्रार्थियों का नाम मू. ग्राम पन्नापाडा के एकाग्र सेरव्या है। प्रार्थियों का नाम शांतीबाई के एकाग्र पर ललिताबाई उर्फ शांतीबाई दर्ज करने के आदेश तहसील दार इकडा को दिये जाते है। आदेश पत्रक से जारी है। पत्रावली फाइल सुंभार होकर दफ्तर दफ्तर है।

*M*  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा, जिला बारां (राज0)

# “प्रशासन गाँव के संग अभियान-2021”

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारा (राज0)

## -: आदेश :-

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती” प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पंचपाडा व मू.अ.नि. ललिता की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बारा/तापक-तहसीलदार-बारा की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पंचपाडा तहसील बारा जिला बारा की जमाबन्दी सम्वत् 2977-80 में खाता संख्या 8 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>पंचपाडा</u>	8	<u>शांती गार्ड यूजी कन्टेपा</u>	<u>ललिता गार्ड यूजी शांती गार्ड यूजी कन्टेपा</u>



MA  
(मनीषा मिश्रा)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा, जिला बारा (राज0)

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/2021/लेख पंचपाडा/106

दिनांक 29.10.2021

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार बारा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ललिता गार्ड यूजी शांती गार्ड यूजी कन्टेपा पंचपाडा को सूचनायें।
3. रक्षित पत्रावली।

MA  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा, जिला बारा (राज0)